

77
79

समक्ष मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

III। किगानी। लतका। भू-दा। 2017/2332

रोशनलाल पुत्र चंद्रिका प्रसाद धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टी दिनेश श्रीवास्तव उम्र 65 वर्ष
पुत्र स्व.श्री कृष्ण किशोर श्रीवास्तव निवासी कृष्ण नगर सतना म.प्र.-----

निगराकार /अपीलार्थी

विरुद्ध

मनमोहनलाल उम्र 36 वर्ष दत्तक पुत्र श्री ताराचन्द्र श्रीवास्तव निवासी हाल
मुख्त्यार गंज सतना -----गैरनिगराकार/प्रत्यर्थी

दिनांक 22-7-17 को
श्री प्रदीप श्रीवास्तव
काथे द्वारा प्रस्तुत /
22-7-17

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान
अनुविभागीय अधिकारी रघुराज नगर
जिला सतना, प्रकरण क्र, 96/निगरानी/2016
-17 रोशनलाल विरुद्ध मनमोहन लाल
आदेश दिनांक 24-06-17
निगरानी अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू-
राजस्व संहिता 1959

प्रदीप श्रीवास्तव
मान्यवर,

निगराकार की ओर से सविनय निम्नलिखित आधारों पर निगरानी
याचिका सादर प्रस्तुत की जाती है :-

1. यह कि अदालत मातहत के समक्ष ग्राम सतना की नामांत्रण पंजी क्र.35
आदेश दिनांक 28-02-15 के खिलाफ धारा 5 म्याद अधिनियम के
आवेदन पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई |जिसको विद्वान अदालत
मातहत ने दिनांक 24-06-17 को धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन
पत्र के साथ अपील खरीज कर दिया जिससे व्यथित होकर उपरोक्त
उन्मान सदर की निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत की जाती है।


दीर्घानला ०१ / म न मोहन

(78)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक १११/निग/सतन/भूरा/२०१७/२३३२

स्थान तथा दिनांक	कार्रवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभारियों के हस्ताक्षर
०९/११/१९	<p>इस प्रकरण में दिनांक १३/११/१७ को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरणा आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनु. अधिभारी <u>रघु राजनगर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>७६/निग/२०१६-१७</u> में पारित आदेश दिनांक <u>२५/०६/१७</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू०राजस्व संहिता में दिनांक २५/०९/२०१८ को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४ (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सतना</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>२९/४/१९</u> को कलेक्टर जिला <u>सतना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> सदस्य</p>